स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 43, दिनांक 28–01–2025

कमिश्नरेट आगरा के अवधपुरी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भण्डाफोड कर भारी मात्रा में नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वांशिग पाउडर बरामद व फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार।

दिनाकः 27–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बड़े पैमाने पर नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए आटोमेटिक पैकिंग मशीन व कूटरचित प्रतिरूपित टाटा नमक व सर्फ एक्सल की बरामदगी के साथ फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– जीतेन्द्र उर्फ जीतू राठौर पुत्र स्वः राजकुमार राठौर निवासी खसरा नम्बर 03, दौलतपुर अजीजपुर धनौली मलपुरा, कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी :–

1– 1 अदद आटोमेटिक पैकिंग मशीन
2– 2 अदद छोटी पैकिंग मशीन
3– 1 अदद बोरा की सिलाई मशीन
4– 2 अदद काटें इलेक्ट्रानिक नापतोल
5– 11 अदद खोमचा माल भरने/मशीन में डालने के लिए
6– 4720 सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर के 80 ग्राम के पैकिट कूटरचित
7– 55 अदद कट्टे टाटा नमक कूटरचित (1375 किलोग्राम) 25 किलोग्राम के
8– 96 अदद बोरी प्रति बोरी 50 किलोग्राम (4800 किलोग्राम) के कट्टे लोकल ब्रान्ड नमक
9– 620 अदद खाली कट्टे टाटा नमक
10– 13400 खाली पाउच टाटा नमक
11– 2 अदद बण्डल सर्फ एक्सल वाशिंग पाउडर के खाली पाऊच वनज 40 किलोग्राम, (15000)
12– 7 अदद पैकिंग धागा बण्डल
13– 65 अदद खाली कट्टे सर्फ एक्सल वाशिंग पाऊडर के
14– 04 अदद वाशिंग पाऊडर के कट्टे (कुल 200 किलोग्राम लोकल)
15– 52 अदद बोरा टाटा नमक प्रत्येक 50 किलोग्राम (2600 किलोग्राम)
16– 1 अदद आधार कार्ड
17– 1 अदद पेन कार्ड
18– 1 अदद मोबाइल फोन
19– 2 अदद एटीएम

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–27–01–2025 समय–20:10 मकान नम्बर 77 चौकी अवधपुरी, थाना क्षेत्र जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा व आप–पास के जनपदों में बड़े पैमाने पर नकली टाटा नमक व सर्फ एक्सल वाशिंग पाऊडर बनाने एवं सप्लाई किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27–01–2025 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम कमिश्नरेट आगरा के थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से निरीक्षक हुकुम सिंह, हे0कान्सगण विमल कुमार, अंकित गुप्ता, बल्देव सिंह, कृष्णवीर सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि मकान नम्बर 77 अवधपुरी थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में बड़े स्तर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लि0 व हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि0 के नकली प्रोडक्ट बनाये जा रहे हैं। उक्त सूचना पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह मय टीम व थाना जगदीशपुरा पुलिस के साथ उक्त मकान में दबिश देकर अवैध फैक्ट्री संचालक जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त को मय उपरोक्त कूटरचित सामान व बनाने वाली पैकिंग के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया, जहाँ से उक्त माल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने पूछताछ पर बताया कि वह यह काम लगभग तीन साल से कर रहा है और वह कच्चा माल (नमक व लोकल वाशिंग पाऊडर) आगरा से सस्ते दामों पर खरीद लेता है व पैकिंग के पाउच/कट्टे दिल्ली सदर से हेमन्त व वासु से खरीद कर उक्त प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में पैकिंग/तैयार कर आस–पास के जिलों व राजस्थान के माधौगढ़, किशनगढ़, चित्तौड़गढ व धौलपुर आदि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जैसे गोल्ड फ्लैक सिगरेट, फैवीक्विक, दन्त कान्ति टूथपेस्ट, एम0डी0एच0 गरम मसाला व मैगी पाउडर की नकली पैकिंग प्रोडक्ट दिल्ली/विहार से खरीद कर आस–पास के क्षेत्रों में बेच देता है। इस कार्य में उसे लगभग 2 से 2.50 लाख रूपये प्रतिमाह की आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0स0 46/2025 धारा–318(4), 338,336(3),340(2) भारतीय न्याय संहिता व 63/65 कापीराइट, 103,104 ट्रेड मार्क अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।